

एक नजर में

# एथलीट का पता



सही खेलें



संयुक्त राष्ट्र  
शैक्षिक, वैज्ञानिक और  
सांस्कृतिक संगठन



विश्व  
डोपिंग-रोधी  
एजेंसी

सच्चा खेलें



PLAY FAIR

अधिक जानकारी के लिए [www.nada.nic.in](http://www.nada.nic.in) देखें



PLAY FAIR



एथलीट राजदूत और रोल मॉडल होते हैं। उनकी अपने खेल की निष्ठा की सुरक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस दायित्व के भाग का अर्थ है कि आपको अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी ताकि डोपिंग रोधी प्राधिकारी बेहतर तरीके से यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी एथलीट सही खेलें।

## पते की सूचना क्यों?

अपना पता बताना स्वच्छ खेल के आपके अधिकार की सुरक्षा से संबंधित है। ठिकाने संबंधी सूचना से नाडा बिना नोटिस दिए एथलीट को ढूंढ सकती है जो उन एथलीटों का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण है जो डोपिंग से स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं।

यह जानना प्रभावी डोपिंग रोधी कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि परीक्षण के लिए एथलीट कहा पाया जा सकता है।

## कौन शामिल है?

काफी कम एथलीट पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में हैं और उन्हें सही तथा वर्तमान पते की सूचना देना आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संघ और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन यह निर्धारण करते के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या आपको पते की सूचना देना अपेक्षित है अथवा नहीं।

## मुझे क्या प्रदान करने की आवश्यकता है?

यदि आपको नाडा द्वारा पते की सूचना प्रदान करने के लिए कहा जाता है तो आपको निम्नानुसार सूचना प्रदान करना अपेक्षित हो सकता है:

- घर का पता
- प्रशिक्षण की सूचना तथा पता
- प्रतिस्पर्धा अनुसूची
- नियमित वैयक्तिक गतिविधियां जैसे कि कार्य अथवा स्कूल
- आरटीपी में शामिल उन कुछ एथलीटों के लिए प्रति दिन 60 मिनट की समय अवधि जहां आप परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे, भी अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

याद रखें कि सभी एथलीटों का किसी भी समय कहीं भी परीक्षण किया जा सकता है। तथापि, आरटीपी एथलीटों के लिए, यदि आप 60 मिनट की घोषित विंडो के दौरान उपलब्ध नहीं होते हैं तो एक छूट गया परीक्षण दर्ज किया जा सकता है।



# आपके ठिकाने

को अद्यतन बनाने के लिए कुछ त्वरित तथ्य



- आप अपने संगत एडीओ को केवल ई-मेल अथवा एसएमएस भेज कर अपने पते को अद्यतन कर सकते हैं।
- यदि आप किसी वैद्य कारण के बिना उपस्थित नहीं हैं तो इसके परिणाम हो सकते हैं। यदि आपको परीक्षण के लिए ढूँडा नहीं जा सका है तो आपको इसका कारण बताने का अवसर होगा।
- आप अपने ठिकाने की सूचना देने के लिए अपने एजेंट अथवा अन्य प्रतिनिधि चुन सकते हैं परंतु ध्यान रखें कि आप तब भी इस सूचना के लिए जिम्मेदार होंगे।
- यदि आप किसी टीम का हिस्सा हैं तो आपके ठिकाने की सूचना आपकी टीम की समेकित सूचना के भाग के रूप में कोच अथवा टीम के अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।



आपके पते को अद्यतन बनाना के साथ आसान है



ए

डी

ए

एम

एस

वाडा का डोपिंग रोधी प्रशासन और प्रबंधन (एडीएएमएस) एक ऑनलाइन साधन है जिससे एथलीट एसएमएस सहित अपने पते की सूचना को अद्यतन बनाने के लिए किसी भी समय कहीं से भी पहुंच प्राप्त कर सकता है।

एडीएएमएस निःशुल्क, प्रयोग में आसान है और इसकी बहु-स्तरीय पहुंच नियंत्रण आपकी सूचना की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।





PLAY FAIR

अधिक जानकारी के लिए [www.nada.nic.in](http://www.nada.nic.in) देखें




PLAY FAIR

# यह ना भूलें!

एथलीट के ठिकाने की जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका खेल और आपके प्रतिस्पर्धी एक समान प्रतिस्पर्धी स्तर में रहें।

- आप और केवल आप ही अपने ठिकाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- आपको दोषी ठहराया जा सकता है आपके प्रतिनिधि अथवा एजेंट द्वारा आपके ठिकाने को अद्यतन बनाने के लिए गलत सूचना अथवा भूल जाने के लिए।
- यदि आप आरटीपी में शामिल हैं, तो आपको अपने पते की प्रत्येक तीन माह में सूचना देनी अनिवार्य होगी ताकि आपको परीक्षण के लिए ढूंढा जा सके।
- यदि आप आरटीपी में शामिल हैं, तो याद रखें कि ठिकाने की सही सूचना न दे पाने की स्थिति के परिणाम हो सकते हैं। आपका आईएफ अथवा नाडा आपको उनकी आवश्यकता के बारे में अधिक विस्तृत सूचना प्रदान करेगा।
- पते की सूचना स्वस्थ खेलों के आपके अधिकार के समर्थन में एक महत्वपूर्ण घटक है।



सही खेलें

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी

ब्लॉक 'ए', प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड़,  
नई दिल्ली-110003

टेलीफैक्स: 011-24368248

ईमेल: [info.nada@nic.in](mailto:info.nada@nic.in)



अधिक जानकारी के लिए [wada-ama.org](http://wada-ama.org) देखें

